

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अध्यक्ष का स्वागत भाषण

इस समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
समागत अतिथियों, परिषद् सदस्यों, मीडिया बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों,

आज चतुर्थ स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप दिनांक 02.09.2007 को हमारे आमंत्रण पर संत जेवियर्स महाविद्यालय के सभागार में पधारे हैं, आप सबको “जोहार”।

आज झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अपनी चतुर्थ वर्षगाँठ मना रही है। चारों ओर हर्षोल्लास फैला हुआ है। आज परिषद् की स्थापना के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं।

इस अवसर पर हमारे बीच आज एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, सहृदय युवा नेता हमारे मुख्यमंत्री, माननीय श्री मधु कोड़ा जी पधारे हैं। हम सब उनका अभिनन्दन करते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय :

आपने भीषण चुनौती भरे क्षणों में जो सफलता अर्जित की है वह हमें झारखण्ड राज्य की निर्बाध प्रगति के प्रति आशान्वित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस क्रांतिकारी परिवर्तन की घोषणा हुई है वह आप जैसे ऊर्जावान नायक ही कर सकता है। हम पुनः आपका अभिनन्दन करते हैं।

इस शुभ अवसर पर हमें अपार खुशी हो रही है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे तेजस्वी मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री बंधु तिकी जी की अध्यक्षता में हमारे समारोह का संचालन हो रहा है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय :

आज के इस शुभ अवसर पर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् परिवार आपका हार्दिक अभिनन्दन करता है।

मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जे. बी. दुबिद जी, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, श्री जे. टोप्पो जी, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, राँची, डॉ. विजय बहादुर सिंह जी, निदेशक, उच्च शिक्षा (मानव संसाधन विकास विभाग, राँची), श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, राँची एवं श्रीमती वंदना डाडेल जी, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, राँची का परिषद् परिवार अभिनन्दन करता है।

आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने नवगठित परिषद् की माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूँ।

शिक्षा सत्र 2006-2007 में परिषद् ने अधिनियम के तहत वर्ष 2007 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा, मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा, मदरसा परीक्षाओं का सफल संचालन किया और उनके परिणाम भी ससमय एकेडमिक कैलेण्डर के अनुसार प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही माध्यमिक पूरक/सम्पूरक परीक्षा दिनांक 25.06.2007 से प्रारंभ होकर दिनांक 10.08.2007 को समाप्त हुई और इसका परीक्षाफल ससमय प्रकाशित किया जा चुका है।

इंटरमीडिएट पूरक/सम्पूरक परीक्षा दिनांक 18.07.2007 से प्रारंभ होकर दिनांक 02.08.2007 को समाप्त हुई। परीक्षाफल एकेडमिक कैलेण्डर के अनुसार ससमय घोषित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा सत्र 1993-95, 1994-96, 1995-97 एवं 1996-98 का संचालन माननीय उच्च न्यायालय के याचिका संख्या — सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2164,2165,2171 एवं 39/2000 तथा जब्लू.पी.सी. नं. 2869 एवं 4227/2001 में दिनांक 13.03.2002 को पारित आदेश के आलोक में संचालन किया गया और इसका परीक्षाफल 22 अगस्त, 2007 को प्रकाशित किया गया।

झारखण्ड राज्य निर्माण के बाद प्रथम बार ही शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र परीक्षा (सी.पी.ई.एड.) एवं शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा परीक्षा (डी.पी.ई.एड.) की परीक्षा राज्य सरकार के पत्रांक 21 कोर्ट केश 06 कला-02/06-164 दिनांक 05.02.2007 के आलोक में संचालित की गयी जिसका परीक्षाफल 22 अगस्त, 2007 को प्रकाशित हुआ।

इस अवधि में यह उल्लेखनीय रहा है कि माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ 21 फरवरी, 2007 से प्रारंभ हुई परीक्षा अवधि में सारे राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन हुआ। परीक्षा की विशेषता यह रही कि माध्यमिक परीक्षा का केन्द्र अनुमंडल से प्रखण्ड स्तर तक ले जाया गया। इससे गरीब छात्रों को राहत मिली और नियमानुकूल परीक्षाओं का संचालन हुआ।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग ने अनेकों परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। इसका प्रभाव शिक्षकों, परीक्षार्थियों और जन मानस पर पड़ा।

माध्यमिक परीक्षा, 2007 के परीक्षाफल का प्रकाशन 07 मई, 2007 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड एवं माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। माध्यमिक परीक्षा के परीक्षाफल का प्रतिशत 83.37% रहा। उत्तर भारत में झारखण्ड पहला राज्य है जिसने सबसे पहले परीक्षाफल का प्रकाशन किया।

इंटरमीडिएट परीक्षा, 2007 के परीक्षाफल का परिणाम अपने शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार 31 मई, 2007 को प्रकाशित किया गया। उत्तर भारत में सर्वप्रथम परीक्षाफल प्रकाशित करने वाला राज्य झारखण्ड है। इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल का प्रतिशत निम्नवत रहा :—

(क)	कला संकाय	74.18%
(ख)	विज्ञान संकाय	45.11%
(ग)	वाणिज्य संकाय	69.88%

मदरसा परीक्षा दिनांक 18.04.2007 से प्रारम्भ हुई और इसकी छः परीक्षाएँ एक साथ दिनांक 30.04.2007 तक चलीं। इन परीक्षाओं में लगभग 17,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए।

मदरसा परीक्षा, 2007 की वस्तानियाँ से फाजिल स्तर तक की सभी परीक्षाओं का परिणाम दिनांक 25.06.2007 को घोषित किया गया। विभिन्न परीक्षाफलों का प्रतिशत निम्नवत रहा :—

(1)	वस्तानियाँ	89.485%
(2)	फौकानियाँ	91.038%
(3)	मौलवी	95.850%
(4)	आलिम पास	96.394%
(5)	आलिम ऑनर्स	94.693%
(6)	फाजिल उर्दू	78.98%
(7)	फाजिल फारसी	94.31%
(8)	फाजिल अरबी	96.51%

संस्कृत (मध्यमा) परीक्षा दिनांक 15.05.2007 से प्रारंभ होकर दिनांक 22.05.2007

को सम्पन्न हुई। इस परीक्षा में लगभग 7,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा का परिणाम 14.07.2007 को घोषित किया गया। इसका प्रतिशत 79.97 प्रतिशत रहा।

नेतरहाट आवासीय बालक विद्यालय एवं इन्दिरा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय, हजारीबाग में वर्ग छः में नामांकन के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन समयानुकूल किया गया और परीक्षाफल का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 28.04.2007 एवं 03.07.2007 को किया गया।

दोनों आवासीय विद्यालयों में नामांकन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष का परीक्षाफल समय से पूर्व हुआ है।

इंटरमीडिएट व्यवसायिक परीक्षा दिनांक 15.05.2007 से प्रारंभ हुई और दिनांक 18.05.2007 को समाप्त हुई। इस परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 14.07.2007 को प्रकाशित किया गया। इस परीक्षा के परीक्षाफल का प्रतिशत 96.61 रहा।

सभी परीक्षाओं का संचालन ससमय हुआ और परीक्षाफल का प्रकाशन शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार ससमय किया गया।

पाठ्यक्रम :-

- (I) नेशनल करिकूलम् फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ., 2005) की अनुशंसा के आधार पर सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम आधारित माध्यमिक विद्यालयों के नवम वर्ग एवं एकादश वर्ग (इंटरमीडिएट - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) के पाठ्यक्रम राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर शिक्षा सत्र 2007-2008 से लागू किये गये हैं।
- (II) मदरसा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम “सच्चर आयोग” की अनुशंसा के आधार पर तैयार किये गये हैं जिनमें परम्परागत एवं आधुनिक तथ्यों का समावेश है। फौकानियाँ स्तर पर सी.बी.एस.ई. आधारित माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंश लगाये गये हैं जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी आदि। वर्ग 01 से 10 फौकानियाँ स्तर तथा 11 एवं 12 मौलवी स्तर के पाठ्यक्रम का विमोचन माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग श्री बन्धु तिकी के द्वारा दिनांक 03.02.2007 को किया गया। ये पाठ्यक्रम राज्य सरकार की स्वीकृति से शिक्षा सत्र 2007-2008 से मदरसों में लागू किये गये हैं।

- (III) संस्कृत (मध्यमा) पाठ्यक्रम नवम एवं दशम वर्ग के लिए 2007-2008 शिक्षा सत्र से राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त लागू किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में भी सी.बी.एस.ई. आधारित विषयों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें परम्परागत एवं आधुनिक तथ्यों का समावेश है।
- (IV) राज्य सरकार के पत्रांक - 1817, दिनांक 27.05.2006 के आलोक में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का पाठ्यक्रम NCTE द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार तैयार किया गया जिसका अनुमोदन राज्य सरकार ने पत्रांक 4345, दिनांक 30.02.2006 द्वारा प्रदान किया। पाठ्यक्रम सभी महाविद्यालयों में सत्र 2007-2009 से लागू कर दिया गया है।
- (V) एक वर्षीय सेवाकालीन शिक्षकों का पाठ्यक्रम NCTE द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार तैयार कर लिया गया है जिसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही अगले सत्र से इस पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा।

विद्यालय स्थापना :

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तावित उच्च विद्यालयों की स्थापना अनुमति की संचिकाएँ परिषद को मई, 2006 से जनवरी, 2007 तक विभिन्न तिथियों में उपलब्ध करायी गयी। विभाग से प्राप्त उन प्रस्तावित विद्यालयों की स्थापना अनुमति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्थानीय राजकीय/राजकीयकृत/अल्प संख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्थलीय निरीक्षण कराया गया। जिन विद्यालयों की अनुशंसा प्राप्त हुई है वैसे विद्यालयों की (स्थायी/अस्थायी) स्थापना अनुमति एवं अस्थायी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों के अवधि विस्तार हेतु विभाग में अनुशंसा भेजी गयी। वैसे विद्यालयों की संख्या 227 है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर 200 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन कर अधिसूचना निर्गत की गयी।

महाविद्यालय स्थापना :

विहित प्रक्रिया के तहत 116 इंटर महाविद्यालयों की अनुशंसा मानव संसाधन विकास विभाग में भेजी गयी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अब तक 58 महाविद्यालयों को स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है जिसे परिषद् द्वारा संबंधित महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति पत्र निर्गत कर दिये गये है।

स्थायी प्रस्वीकृति प्रदत्त 50 महाविद्यालयों को अनुदान हेतु अनुशंसा विभाग में भेजी गयी है। 50 स्थायी प्रस्वीकृत महाविद्यालयों में शासी निकाय का गठन कर निदेशालय को समर्पित कर दिया गया। लगभग 20 नये इंटरमीडिएट महाविद्यालयों को परिषद् द्वारा स्थापना अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

इंटरमीडिएट शिक्षा के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम है।

मदरसा :

03 मदरसों की स्थापना अनुमति/उत्क्रमण की अनुशंसा राज्य सरकार में भेजी गयी है। 11 (ग्यारह) अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त मदरसों में अनुदान हेतु अनुशंसा विभाग में भेजी गयी है।

मध्यमा (संस्कृत) :

लगभग 19 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना अनुमति हेतु अनुशंसा मानव संसाधन विकास विभाग में भेजी गयी है।

माध्यमिक परीक्षा, 2007 में राजकीय उच्च विद्यालय, बरियातु (संत मिखाइल स्कूल) राँची की चार दृष्टिहीन छात्र/छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है। परिषद् के निर्णयानुसार छात्राओं को परिषद् मेधा प्रमाण पत्र एवं एकमुश्त चार-चार हजार रुपये वित्तीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा परिषद् की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान

भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली ने झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को झारखण्ड राज्य की एक मान्यता प्राप्त संस्था घोषित की है जिसके द्वारा संचालित 10 वार्षिक माध्यमिक तथा 12 वर्षीय इंटरमीडिएट परीक्षाएँ मान्यता प्राप्त हैं तथा देश के अन्य बोर्डों द्वारा संचालित सदृश परीक्षाओं के समकक्ष हैं। पत्र का महत्वपूर्ण अंश नीचे उद्धृत हैं — “We would like to inform you that Jharkhand Academic Council, Ranchi” is an accredited Board in the State of Jharkhand vested with the authority to conduct 10 years Secondary and 12 years Intermediate Examinations in the State of Jharkhand. The examinations conducted by ‘Jharkhand Academic Council, Ranchi’ are recognised and treated at par with the corresponding examinations of other Boards in the Country”.

भवन :

इस अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का कार्यालय, किराये के भवन से मुक्त होकर अपने नये भवन ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ, नामकुम (राँची) में 31 जुलाई, 2007 से संचालित हो रहा है। भवन निर्माण कार्य अबाध गति से चल रहा है। दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

राज्य सरकार ने झारखण्ड अधिविद्य परिषद् संशोधन अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम, 2007) 15.02.2007 को अधिसूचित किया। तदुपरान्त राज्य सरकार ने झारखण्ड अधिविद्य परिषद् संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा (4) (1) में प्रख्यापित प्रावधान के अन्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का गठन किया जो दिनांक 07.06.2007 को अधिसूचित किया गया।

इस अधिसूचना के फलस्वरूप डॉ. अब्दुल सुभान की नियुक्ति उपाध्यक्ष पद पर हुई। उन्होंने 09.06.2007 को पूर्वाह्न में अपना योगदान दिया। उपाध्यक्ष महोदय परिषद् कार्यालय की दुमका शाखा के प्रभार में हैं।

झारखण्ड के माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट संस्थानों में अंग्रेजी के माध्यम से पठन-पाठन की व्यवस्था

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ने 27.06.2007 की बैठक में परिषद् की परीक्षा नियमावली 20 (1) के अंतर्गत झारखण्ड के माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम से पठन-पाठन संबंधी संलेख को अनुमोदन किया एवं राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया।

निर्णयानुसार राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

इस संकल्प के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। इस शुभ अवसर पर हमारे आमंत्रण पर आये मीडिया के तमाम बन्धुओं, दूर दराज से आये शिक्षक बन्धुओं एवं तमाम जनसमूह का स्वागत करता हूँ।

परीक्षाओं के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन में राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं शैक्षिक पदाधिकारियों का अमूल्य सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से एवं परिषद् की ओर से उन सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिषद् में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है। इसके बावजूद इन लोगों ने समय पर परीक्षा लेकर परीक्षा फल प्रकाशित किया है। अतः मैं अपने अधीनस्थ कार्यरत तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के लिए साधुवाद देता हूँ।

आप सबका अभिनन्दन करता हूँ।

जय हिन्द, जय झारखण्ड।

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष